तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेन्द्र कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 109/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार राजोरिया निवासी गली. न. 7, कलाल कॉलोनी, नागौरी गेट के अन्दर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.01.2023 में स्व. श्री रामचन्द्र दायमा द्वारा लिया गया आवास ऋण खाता संख्या एल.आई.सी. एचस. 7/5 में रहन रखे गए मूल दस्तावेजात किस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए व उसे किस व्यक्ति द्वारा उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से पत्र क्रमांक सू.अ.अ./प्रा.स. 16/2023/445 दिनांक 06.04.2023 से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, आवास शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित है एवं आदिनांक तक सूचना प्रेषित नहीं की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना आवास शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित है, इसलिए अपील में प्रभारी अधिकारी, आवास शाखा, कार्यालय हाजा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए यह निर्देशित किया जाता है प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाई जाए अथवा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	